न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 47 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. सुगनचन्द पुत्र स्व नारायण राम
2. सुरजी देवी
3. कमला देवी
4. रामदेवी — पुत्रियां स्व0 नारायणराम
5. चम्पा देवी
6. विमला देवी
7. मूली देवी पत्नि स्व0 नारायण राम

समस्त जाति धोबी निवासीगण भगवानपुरा (अलोदा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादीगण की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 05.01.2021**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 202 लगायत 205 किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित रही है। जिसमें हिस्सा 1 / 4 की खातेदारी वादीगण के पिता नारायण पुत्र भूरा के नाम से दर्ज है। उपरोक्त भूमियों में नये खसरा नम्बर 488 लगायत 491 कुल किता 4 कुल रकबा 2.48 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर नव—सृजित हुये है। वादीगण के पूर्वज पिता / पति नारायण पुत्र भूरा का स्वर्गवास दिनांक 07.10.1980 को हो चुका है तथा उक्त नारायण पुत्र भूरा के नाम से कब्जे, काश्त व खातेदारी की भूकियों पर वादीगण काबिज काश्त है। उक्त नारायण के पिता का नाम भूरा था जो कि पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 तक सही रूप से अंकन रहा है परन्तु इसके बाद के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज नारायण के पिता का नाम भूरा के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों की भूलवंश या संहवन से अथवा लापरवाही से नारायण पुत्र भूदा दर्ज कर

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दिया गया जो गलत है। एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के पिता नारायण पुत्र भूरा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिशान वादीगण ही है जिनके नाम नारायण के विरासत की खातेदारी दर्ज होनी है परन्तु वादीगण संख्या 1 ता 6 के दादा एवं वादिया संख्या 7 के ससुर भूरा का नाम संहवन से भूरा के स्थान पर भूदा दर्ज हो जाने से वादीगण को नारायण पुत्र भूरा की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने मे भारी दिक्क्त आ रही है। वादीगण के पिता नारायण पुत्र भूदा को दुरूस्त कर इसके स्थान पर पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही नारायण पुत्र भूरा पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त कर सही करवाया जाना अति आवश्यक है। वादकारण असरा करीब 10–12 रोज पूर्व प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादीगण के पिता/पति/नारायण पुत्र भूदा का नाम संशोधन करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 488 लगायत 491 कुल किता 4 कुल रकबा 2.48 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादीगण के पिता/पति का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दो में दर्ज नाम नारायण पुत्र भूदा के स्थान पर वादीगण के पिता/पति का सही व वास्तिविक नाम नारायण पुत्र भूरा दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीगण के पिता/पति का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दो में दर्ज नाम नारायण पुत्र भूदा के स्थान पर वादीगण के पिता/पति का सही व वास्तिविक नाम नारायण पुत्र भूरा दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि नामा0 सं0 242 से नारायण के स्थान पर मु0 मूली बेवा नारायण सुगनचन्द पुत्र नारायण जाति धोबी हिस्सा 1/4 स्वीकार हुआ। इसके

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बाद जमाबन्दी सं0 2039–42 के खाता सं0 63 के खातेदारी मु0 मुरली बेवा नारायण पुत्र भूदा हिस्सा 1/2 जाति धोबी सा0 देह दर्ज हुई वर्तमान जमाबन्दी सं. 2076–79 के खाता सं0 96 के खसरा नम्बर 488 से 491 किता 4 रकबा 2.48 है0 में खातेदारी नारायण पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 प्रभूदयाल बजरंगलाल बाबूलाल पि0 नाथू हिस्सा 3/16 सरस्वती पत्नि नाथू हिस्सा 1/16 मुरली पत्नि नारायण हिस्सा 1/8 दर्ज है प्रमाण पत्र सरंपच ग्राम पंचायत सामेर के मुताबिक नारायण पुत्र भूरा व नारायण पुत्र भूदा जाति धोबी एक ही व्यक्ति है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण का दावा स्वीकार योग्य है। **वादीगण का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर** 488 **लगायत 491 कुल किता 4 कुल रकबा 2.48 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादीगण के पिता/पति का नाम नारायण पुत्र भूदा के स्थान पर वादीगण के पिता/पति का सही व वास्तिविक नाम नारायण पुत्र भूरा दर्ज करने के आदेश** दिये **जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

सुगमचन्द — बनाम — राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 47 / दावा सन् 2020 — निर्णय दिनांक. 05.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर** 488 **लगायत 491 कुल किता 4 कुल रकबा 2.48 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी के पिता/पति का नाम नारायण पुत्र भूदा के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर नारायण पुत्र भूरा संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.01.2021 को जारी की गई।

मोहर — दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प उजर सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ